

राजस्थान सरकार  
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग  
(डीएमआईसी)

क्र. :-प.सं.15(9)डीएमआईसी/विविध/SIR Act/2019

दिनांक: 12 OCT 2020

अधिसूचना

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा पाली जिले की रोहट तहसील के निम्नलिखित राजस्व ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष विनिधान रीजन (Special Investment Region) घोषित करती है तथा उक्त ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्र को उसका भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती है जिसे जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) के नाम से जाना जाएगा, अर्थात् :-

तहसील रोहट के राजस्व ग्राम

1. डूंगरपुर
2. सिणगारी
3. दूढली
4. दूदली
5. निम्बली पटेलान
6. निम्बली ब्राह्मणान
7. दानासनी
8. रोहट
9. दलपतगढ़

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sld-

(नरेश पाल गंगवार)  
प्रमुख शासन सचिव

क्र. :-प.सं.15(9)डीएमआईसी/विविध/SIR Act/2019

दिनांक: 12 OCT 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, को अधिसूचना आज ही असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। अधिसूचना की 10 प्रतियां उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय को एवं 20 प्रतियां प्रकाशन के बिल के साथ डी.एम.आई.सी. विभाग, उद्योग भवन को भिजवावें।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, माननीय सदस्य, लोकसभा क्षेत्र पाली, राजस्थान।
6. निजी सचिव, माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा क्षेत्र, पाली।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान।
9. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रीको, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, डीएमआईसी, राजस्थान।
11. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग, राजस्थान।

12. जिला कलेक्टर, पाली।
13. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. उपखण्ड अधिकारी, रोहट, पाली।
15. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली।
17. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पाली।
18. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पाली।
19. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शाखा सचिव